

मु. नं 77/17 तारीख रजु 2.11.17

उगवान - कैला बन्नाम हरि प्रसाद वैशे गूजर
निघरिया

प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212

प्रार्थी की ओर से श्री ~~सुनील कुमार जिन्दल~~ के
प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RT
के तहत पेश किया। जमाबन्दी व आपत पत्र का
अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार कर
अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक
15.11.17 को पेश है।

5 800-5805

2-11-17



जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
दोडाभीम

5.11.17

प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थी नं. 1 का प की ओर से श्री सुदेश
चंद शर्मा ADV. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी
नं. 6 का वजूद खपरा उप. नही उनके विकल्प एक फर्दीप कार्य
वाली के इच्छा दिये जाते हैं। अप्रार्थी नं. 5 का नोटिस विधिवत
लागील नही। प्रवापन नोटिस तलवाना पेश करे। काले
अंतामि अर्थात् निषेधाज्ञा पर बहल सुकी गरी बहल सुगम उप.।
में जकब प्रस्तुत किया जाना उचित समझे हुए जकब पेश
करने की हिदायत की। पेश करते जकब व तलवाना दिनांक
8.12.17 को पेश है।



विक्रम अथ उप.। वाले निषाव तसपी दिनांक
3-1-18 को पेश है।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

28.2.18

बकुलाय उपस्थित / सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई
निवेदाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखाया जाकर शामिल किया जाता है। पत्रावली
फैसल नुमा (होका) नुमा से वस होकर दावा पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।



उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज०)